

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अनीपचारिक
रूप से
परामर्शित

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:- वित्त विभाग ।

पटना, दिनांक-07/06/2019

विषय:- अमर शहीद जगदेव प्रसाद सदर अस्पताल, जहानाबाद में 191 बेड के प्रस्तावित सदर अस्पताल के नये भवन के निर्माण हेतु रुपये 93,53,00,000/- (तिरानवे करोड़ तिरपन लाख रुपये) का प्रशासनिक स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2019-20 में रुपये 10,00,00,000/- (दस करोड़ रुपये) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश: स्वीकृत ।

अमर शहीद जगदेव प्रसाद सदर अस्पताल, जहानाबाद के भवन परिसर अवस्थित कुछ हिस्सों को छोड़कर अत्यन्त जर्जर भाग को ध्वस्त करते हुए कार्यहित एवं जनहित में पूर्व में स्वीकृत 300 बेड के विरुद्ध 191 बेड के प्रस्तावित सदर अस्पताल के नये भवन के निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यहाँ अभी प्रतिमाह लगभग 20000 (बीस हजार) मरीज को वाह्य कक्ष में एवं 1000 (एक हजार) मरीज को अन्तः कक्ष में सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

2. जहानाबाद जिला में 300 शैय्या वाला सदर अस्पताल का निर्माण विभागीय संकल्प संख्या-278, दिनांक-04.04.2007 से लिया गया है। आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक-809, दिनांक-21.04.2018 जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक-1053, दिनांक-07.07.2018 द्वारा भी पुराने एवं जर्जर भवन में अस्पताल संचालन होने से अप्रिय घटना होने की संभावना बतलायी गयी है। जिला स्वास्थ्य समिति के निदेश पर कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, जहानाबाद के पत्रांक-713, दिनांक-07.07.2017 के द्वारा किये गये जाँच प्रतिवेदन उल्लेखित है कि "अस्पताल का अधिकांश हिस्सा अयोग्य है, कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है, जान-माल का भी खतरा है। इसलिए उक्त भवन को यथाशीघ्र खाली करना अति आवश्यक है क्योंकि वहाँ पर काफी संख्या में मरीजों की भीड़ लगी रहती है ताकि भविष्य में कोई अप्रिय घटना न घटे।"

3. उक्त अस्पताल का भवन निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के पत्रांक-4017, दिनांक-27.11.2018 से कुल रुपये 93,53,00,000/- (तिरानवे करोड़ तिरपन लाख रुपये) का मुख्य महाप्रबंधक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्राप्त हुआ है, जिसमें भवन निर्माण के अतिरिक्त Fire Fighting, Fire Alarm, Bed Lift, Solar Water heating System, CCTV, HVAC, MGPS, Furniture Modular OT (3 Nos.), Pneumatic Tube System, Bio Medical Waste Disposal System तथा Medical equipment का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए रुपये 93,53,00,000/- (तिरानवे करोड़ तिरपन लाख रुपये) का प्रशासनिक स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2018-19 में रुपये 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) मात्र व्यय का प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा विभागीय राज्यादेश संख्या-1185(10), दिनांक-01.03.2019 के द्वारा प्रदान की गयी थी परन्तु, तकनीकी कारण से राशि आवंटित नहीं की जा सकी। अतएव वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार के निर्णय के अनुरूप संबंधित योजना के कार्यान्वयन हेतु रुपये 10,00,00,000/- (दस करोड़ रुपये) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना (BMSIC) के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायेगा:-

- (i) भवन निर्माण कार्य स्वास्थ्य विभाग को आवंटित भूमि परिसर में अवस्थित उपलब्ध आवश्यक 2 एकड़ भूमि पर ही कराया जाएगा।
- (ii) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नहीं कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।
- (iii) निगम द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कार्य कराया जायेगा।
- (iv) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।
- (v) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा। भवन निर्माण कार्य में सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित न हो, इसकी जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेन्सी की ही होगी। सिविल सर्जन एवं प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा भी यह सम्पुष्टि कर ली जाएगी कि प्राक्कलन के अनुरूप कार्य सम्पन्न करा लिया गया है।
- (vi) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा। भवन निर्माण संबंधी कार्यादेश निर्गत के उपरान्त समय सीमा का पूर्ण अनुपालन की जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेन्सी की होगी।
- (vii) निगम के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय। तदक्रम में निगम द्वारा भी भवन निर्माण संबंधी छः मासिक प्रगति से विभाग को अवगत कराया जाएगा, जबतक भवन निर्माण कार्य पूर्ण न हो जाय।
- (viii) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि की पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेंगे।

5. उक्त कार्य मांग संख्या-20 के अन्तर्गत, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं लघु शीर्ष-110-अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-0113 -जिला एवं अनुमंडलीय अस्पताल, भवनों का निर्माण, जीर्णोद्धार, विपत्र कोड-20-4210011100113, विषय शीर्ष-(53 01) मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2019-20 में रुपये 10,00,00,000/- (दस करोड़ रुपये) एवं अवशेष राशि मांग के अनुरूप अगले वित्तीय वर्ष में विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी बी0टी0सी0 फार्म संख्या-46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से निगम के पी0एल0 खाता संख्या-PLA-244 एवं विपत्र कोड- K8448001110002 में सुलभ करायेंगे।

7. बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण विवरणी (Plus-Minus Memoranda) माहवार तथा एतदसंबंधी डी0सी0 विपत्र छः माह के अन्दर सुलभ करायेंगे।

8. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि0(2), दिनांक-17.04.98, 8543 वि0(2), दिनांक-27.11.2007 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी ।
9. राशि की निकासी उपर्युक्त कंडिका-3 के मुख्य शीर्ष /उपशीर्ष में उपबंधित राशि से की जायेगी ।
10. राशि की निकासी नया सचिवालय, विकास भवन, कोषागार, पटना से की जायेगी।
11. प्रस्ताव में लोक वित्त समिति के दिनांक-18.01.2019 की बैठक में अनुमोदन प्राप्त है ।
12. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् के बैठक की दिनांक-12.02.2019 में मद संख्या-28 के रूप में सम्मिलित एवं स्वीकृत किया गया है ।
13. राज्यादेश प्रारूप में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।
14. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-10/सदर-04-02/2018 के पृष्ठ-31/टि0 में प्राप्त है ।
15. पूर्व में निर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या-1185(10), दिनांक-01.03.2019 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।
16. संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
17. यह मात्र स्वीकृत्यादेश है । आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव ।




ज्ञापांक:- 128(10)

/स्वा0, पटना, दिनांक- 07/06 /2019

प्रतिलिपि-योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-12.02.2019 में मद संख्या-28 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, मगध प्रमंडल, गया/सिविल सर्जन, जहानाबाद/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:-माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-10, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव ।

